S/c

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए0/प्राक्क01–1267/2023 1688 पटना – 15, दिनांक :– 13.8.24

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिमी (पूर्ववर्ती भागलपुर पूर्व) के तहत राज्य योजना अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत बिरनौध (गोराडीह) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत योजना से आच्छादित ग्राम पंचायत गोराडीह के वार्ड सं0–05, 06, 07, 08 एवं 10 यानि कुल 05 वार्डों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु 241.747 लाख (दो करोड़ एकतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र के योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिमी (पूर्ववर्ती भागलपुर पूर्व) के तहत राज्य योजना अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत बिरनौध (गोराडीह) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत योजना से आच्छादित ग्राम पंचायत गोराडीह के वार्ड सं0–05, 06, 07, 08 एवं 10 यानि कुल 05 वार्डों के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु 241.747 लाख (दो करोड़ एकतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र के योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–6ए0/प्राक्क01–1027/2019–964, दिनांक–08.03.2019 की कंडिका–2 की तालिका के क्रमांक–02 में बिरनौध (गोराडीह) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति 150.970 लाख रूपये पर प्रदान की गयी है। इस योजना से आच्छादित ग्राम पंचायत गोराडीह के वार्ड सं0–05, 06, 07, 08 एवं 10 यानि कुल 05 वार्डों के सभी घरों को टैप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्व स्वीकृत योजना के तहत प्रावधानित अवयवों के अतिरिक्त 02 अदद् 25KLPH क्षमता (कुल–50KLPH) के फ्लोराईड ट्रीटमेंट यूनिट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन, 01 अदद् स्टील सेड का निर्माण कार्य, विभिन्न व्यास के 700मी0 अतिरिक्त HDPE Pipe बिछाकर 150 अदद् नये गृह जल संयोजन का कार्य का प्रावधान एवं पाँच वर्षो के रख–रखाव (मरम्मती) (विद्युत प्रभार सहित) हेतु कार्य सम्पादित किया जाना है, जिसपर कुल व्यय– 241.747 लाख (दो करोड़ एकतालीस लाख चौहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र संभावित है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0106–मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05–सहायक

अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष– 0104.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (III) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0105– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017960105 – विषय शीर्ष – 0105.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा तथा (IV) योजना के संचालन एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उप शीर्ष–01–जल पूति, लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष – 0107– ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख–रखाव–सात निश्चयं–2 –विपत्र कोड – 36–2215011020107 अंतर्गत भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी भागलपुर कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

5. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

6. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

7. जिन मदों में 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उन मदों के लिए SoR दर एवं एकरारनामा की दर में से जो दर कम होगा, वहीं दर अतिरिक्त मात्रा (प्रावधानित मात्रा से 20 प्रतिशत ज्यादा पर) के भुगतान हेतु मान्य होगा। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।

8. जिन मदों में बढ़ोतरी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, उन मदों की 50 प्रतिशत से अतिरिक्त मात्रा का भुगतान संबंधित अधीक्षण अभियंता के भौतिक सत्यापन एवं विशिष्ट भुगतान आदेश के बाद ही किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता अतिरिक्त मात्रा के 50 प्रतिशत तक का ही भुगतान अपने स्तर से करेंगे।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

जावेद

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0, दिनांक –31–05–17 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. वर्ष 2024–25 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

जावेद 13-8-24
(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्राक्क01–1267/2023 1688 पटना – 15 ,दिनांक :– 13. 8. 24

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (मू0)/उप निदेशक (अने0)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 एवं 3/प्रशाखा–6/कार्यवाह सहायक–6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

5. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

जावेद 13-8-24
(मो0 सादुल्लाह जावेद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव